न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
22/2022	22.02.2022	15.04.2026

रामजीलाल पुत्र कल्याणमल जाति रावल निवासी सिगोरकलां तहसील खण्डार।

——प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार लैंड होल्डर तहसील खण्डार।

——अप्रार्थी

दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री हनुमान प्रसाद चौधरी वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से हैः—

- यह कि वादी की खातेदारी कब्जे काश्त भूमि ख0नं0 439 रकबा 2 बीघा 10विस्वा, ख0नं0 514 रकबा2 बीघा 07 विस्वा, ख0नं0 515 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा वांके ग्राम सिगोंर कंला तहसील खण्डार मेंस्थित है।
- यह कि वादी अनुसूचित जाति रावल जाति का व्यक्ति है। जिसका न्यायालय उपजिला दण्डनायकसवाई माधोपुर द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक : 80 दिनांक 12.03.1980 में दर्ज है। किन्तु रेवन्यूरिकार्ड जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की भूलवश जाति जसोंदी दर्ज कर रखी है।
- जबकि वादी की जाति, जाति प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा वादी को वादी के मकान का जारीपट्टा एवं ग्राम पंचायत सिगोर केला द्वारा जारी राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजो में रावल है। जसोंदी केवल सरनेम है, न की वादी की जाति । इसलिये रेवन्यू रिकार्ड, जमाबंदी आदि में वादी की जातिरावल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।
- यह कि वादी ने अपने खातेदारी भूमि की जमाबंदी में वादी की जाति रावल दुरूस्त किये जाने केलिये तहसीलदार खण्डार से दिनांक 01/02/2022 को निवेदन किया तो तहसीलदार जी खण्डार नेवादी से श्रीमान के यहा से आदेश लाने बाबत कहा। इसलिये वादी को रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी मेंवादी की जाति रावल दर्ज किये जाने के लिये यह दुरूस्ती इन्द्राज हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यकहुआ।
- यह कि विनाय दावा वादी द्वारा दिनांक 01/02/2022 को करने निवेदन तहसीलदार साहब खण्डार सेनिवेदन एवं वादी से कहने श्रीमान जी तहसीलदार खण्डार द्वारा अन्दर अधिकार क्षेत्र न्यायालय हाजाउत्पन्न हुआ
- यह कि दावा सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को पूरा—पूरा अधिकार है।
- यह कि दावा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद है।
- यह कि दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जावे।

(क) यह कि वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 489 रकबा 2 बीघा 10विस्वा, ख0नं0 514रकबा 2 बीघा 07 विस्वा, ख0नं0 515 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा वांके ग्राम सिगोंर केला तहसीलखण्डार के रेवन्यू रिकार्ड, जमाबंदी इत्यादि में दुरूस्ती कर वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0 मा0)

जाति रावल दर्ज किया जावें।जिसके लिये तहसीलदार खण्डार को आदेश प्रदान किये जावें।

2. वादी का वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी (तहसीलदार खण्डार)को जरिये नोटिस तलबी की गई। वादी द्वारा अपने वादपत्र में कोई सुसंगत धारा या अधिनियम का वर्णन नहीं किया गया जिसके तहत अनुतोष चाहा गया। वादी के द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती का चाहा गया अनुतोष जो प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अनुरूप है। इसलिए वादी के उक्त प्रकरण की सुनवाई प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत गई। उक्त विवादित भूमि का तहसीलदार खण्डार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 297 में खसरा नम्बर 489 रकबा 2.10 बीघा, खसरा 514 रकबा 2.07 बीघा, खसरा 515 रकबा 2.15 बीघा रामजीलाल पुत्र कल्याण जाति जसोदी सा. देह खातेदार राहिन B.O.M. शाखा बह. कलां दर्ज रिकॉर्ड है। पुरानी जमाबंदी संवत 2012–2015 में उक्त भूमि वादी के पिता कल्याण पुत्र गणेशा जाति जसोदी सा. देह दर्ज रिकॉर्ड थी एवं जमाबंदी संवत 2032 2035 में कल्याण पुत्र गणेशा की विरासत से रामजीलाल रामऔतार सुरेशचन्द जाति जसोदी सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई तथा जमाबंदी संवत 2069–2072 के खाता संख्या 280 में नामा. संख्या 1447 दिनांक 21/01/2013 जरिये रिलीज़ डीड के द्वारा रामजीलाल रामअवतार सुरेश कुमार स्थान पर रामजीलाल पुत्र कल्याण जाति जसोदी सा. देह के नाम दर्ज हुआ था जो आदिनांक तक के रिकॉर्ड में चला आ रहा है। उक्त सम्बंधित जमाबंदी व नामा. की नकल संलग्न है। मुताबिक भू.अभि. निरी. सिंगोरकलां व पटवार हल्का सिंगौरकलां के मौके पर पूछताछ में उक्त प्रकरण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने पर ग्रामवासियों द्वारा बताया गया किरामजीलाल पुत्र कल्याण जसोदी शादी समारोह व अन्य उत्सवों में ढोल नगाड़े बजाने काकार्य कर अपना जीवन यापन करता था। ग्राम में लोगो द्वारा जसोदी,रावल व राणा कहकर पुकारा जाता है। वर्तमान में वादी कोटा रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान बताया गया है कि कि वादी की खातेदारी कब्जे काश्त भूमि ख0नं0 439 रकबा 2 बीघा 10विस्वा, ख0नं0 514 रकबा 2 बीघा 07 विस्वा, ख0नं0 515 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा वांके ग्राम सिगोंर कंला तहसील खण्डार में स्थित है। प्रार्थी अनुसूचित जाति रावल जाति का व्यक्ति है। जिसका न्यायालय उपजिला दण्डनायक सवाई माधोपुर द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक : 80 दिनांक 12.03.1980 में दर्ज है। किन्तु रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की भूलवश जाति जसोंदी दर्ज कर रखी है। जबकि प्रार्थी की जाति, जाति प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को प्रार्थी के मकान का जारी पट्टा इत्यादि दस्तावेजो में रावल है। जसोंदी केवल सरनेम है, न की प्रार्थी की जाति । इसलिये रेवन्यू रिकार्ड, जमाबंदी आदि में वादी की जाति रावल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

4. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा तर्क किया गया है कि उक्त खसरों में खातेदार की राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की भूलवश जाति जसोदी दर्ज हुई है। लेकिन उक्त कथित त्रृटि कब हुई है यह प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 489, 514 व 515 में दर्ज खातेदार की जाति सम्बत्त 2012–2015 से निरन्तर जसोदी दर्ज रही है। साथ ही उक्त भूमि दिनांक 27.12.2012 को रिलीज डीड खातेदार रामजीलाल [illegible] में किया जाना भी प्रतित होता है। रिलीज डीड में भी जाति जसोदी अनुसार किया जाना प्रतित होता है। प्रार्थी द्वारा जिस प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है वह केवल तत्कालीन [illegible] के प्रमाणिकरण व आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर जारी किया जाना प्रतीत होता है। राजस्व अभिलेख में धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय त्रृटि को सही किया जा सकता है। रिकॉर्ड में विवादित आराजी में खातेदार की जाति निरन्तर जसोदी दर्ज रही है। विचाराधीन प्रकरण में धारा 136 के तहत कोई लिपिकीय त्रृटि होना सिद्ध नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16.49 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.) सत्यमेव जयते

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:49 IST
Reason: SelfAttested